3. राजसरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा/ ...

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 9/12/25

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री मदन लाल पारीक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि जहां तक प्रा. पत्र हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि प्रार्थीगण के दादा व ससुर अप्रार्थी सं. 2 बनवारीलाल के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 4 बीएलडब्लयू के प.नं. 26/ 241 (13) किला नं. 1 ता 20 की कुल 5.060 हैक. भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख थी। चित्रप्रति जमाबंदी सं. 2076 से 2079 चक 4 बीएलडब्ल्यू सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि जो अप्रार्थी सं.2 को उनके पिता खुमाणाराम से प्राप्त हुई है। इस भूमि का पैतृक सम्पति के आधार पर पिता पुत्र अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के मध्य सहमति से खाता विभाजन किया गया। जिसमें हम प्रार्थीगण के पिता व पति अप्रार्थी सं.1 को इस पैतृक सम्पति में चक 4 बीएलडब्लयू के प.नं. 26/241 (13) किला नं. 1 ता 6, 7/.127 की 1.645 हैक. हिस्सा प्राप्त हुआ। जो खाता विभाजन में अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज है। चित्रप्रति जमाबंदी चक 4 बीएलडब्ल्यू सं. 2076 से 2079 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित अप्रार्थी सं.1 विजय सिंह के नाम वर्णित कृषि भूमि 1.645 हैक. भूमि प्रार्थीगण सं. 1, 2 की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक निहित है

यह कि हम प्रार्थीगण सं. 1, 2 के पड़दादा, अप्रार्थी सं. 1 के दादा व अप्रार्थी सं. 2 के पिता स्व. श्री खुमाणाराम की तहसील सूरतगढ़ के गांव चाड़सर के खसरा नं. 404 में 4.173 हैक. व खसरा नं. 415 में 14.796 हैक. भूमि थी जो उनके फौत होने पर उनके चारो पुत्रो भागीरथ, लालचन्द, बनवारीलाल, ओमप्रकाश के नाम विरासतन प्राप्त हुई। जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में इन चारो के नाम दर्ज हुई। भागीरथ का हिस्सा उनके वारीसान अप्रार्थीर सं. 8 से 11 के नाम दर्ज है। इन तीनो खसरा नं. की कुल 25.504 है. भूमि में अप्रार्थी सं. 2 का 1/4 हिस्सा है । चित्रप्रति जनाबंदी गांव चाड़सर सं. 2070 से 2073 व चित्रप्रति नामान्तरण गांव चाड़सर दिनांक 20.03.2013 सलग्न प्रार्थना पत्र है ।

यह कि प्रार्थीगण सं. 1, 2 के दादा उक्त पैतृक सम्पति की कमाई से तहसील सूरतगढ़ के गांव चाड़सर के खसरा नं. 503/415 की 1.214 हैक. भूमि अपने कर अपने पुत्रो अप्रार्थी सं. 1 व 3 के नाम ब.हि. ब. दर्ज करवाई थी । अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज 1.214 है. भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थीगण सं. 1, 2 की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस भूमि 0.607 हैक. भूमि में प्रार्थीगण सं. 1, 2 का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा हक है यानी इस भूमि में पिता विजय सिंह का 0.202 हैक. हिस्सा था। इस 1.214 हैक. भूमि में 0.9557 हैक. भूमि भारत माला सड़क में अवाप्त होकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम अलग खसरा नं. 6271503 में 0.9557 हैक. गैर मुमकिन सड़क दर्ज हो गई। शेष भूमि खसरा नं. 626/503 में 0.1192 हैक., खसरा नं. 628/503 में कुल 0.1391 हैक. अप्रार्थी सं. 1, 3 के नाम ब. हि. ब. दर्ज हुई। चित्रप्रति जमाबंदी गांव चाड़सर सं. 2073 से 2076 सलग्न प्रार्थना पत्र यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित विजय सिंह के नाम भूमि प्रार्थीगण सं. 1, 2 की पैतृक सम्पति है। प्रार्थना पत्र की दफा 6, 7 में वर्णित अप्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी के नाम वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण सं. 1, 2 का जन्म से हक निहित है । अप्रार्थी सं.1 में गलत आदते होने के कारण उन्होने चार साल से प्रार्थीगण को घर से निकाल रखा है। प्रार्थीगण 4 साल से अकेले सीकर में रह रहे है।

प्रार्थीगण सं. 1, 2 अकेले वही अपनी पढ़ाई कर रहे है और वादीया सं.3 उनका लालन – पालन व पढ़ाई करवा रही है। प्रशनगत भूमि पैतृक सम्पति है जिसका पिता पुत्र के मध्य बंटवारा हो रहा है। वादीया सं. 3 जो अप्रार्थी सं. 1 की पत्नी व प्रार्थीगण सं. 2 की माता है इसलिये प्रशनगत भूमि में वादीया सं. 3 का बराबर का हिस्सा है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित चक 4 बीएलडब्ल्यू की 1.645 हैक. भूमि मेकं प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा का हक है। वाद पत्र की दफा में वर्णित गांव चाड़सर के खसरा नं. 417 की 6.615 हैक. भूमि में अप्रार्थी सं. 2 बनवारीलाल का 1/4 हिस्सा यानी 1.654 हैक. हिस्सा में अप्रार्थी सं.1 व प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार है तथा खसरा नं. 404 की 4.173 हैक. भूमि में अप्रार्थी सं. 2 बनवारीलाल का 1/4 हिस्सा यानी 1.043 हैक. हिस्सा भूमि के 1/4 हिस्सा में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 का बहि.व. का हक हिस्सा है तथा गांव चाड़सर के खसरा नं. 415 में 14.796 हैक. में अप्रार्थी सं.2 बनवारीलाल का 1/4 हिस्सा यानी 3.699 है. भूमि के 1/4 हिस्सा में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 का बहि.व. के हकदार है। इसी गांव के खसरा नं. 503/415 की 1.214 है. भूमि में 1/2 हिस्सा में प्रार्थीगण सं. 1, 2 का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा का हक है। अप्रार्थी सं. 1 का लालन 1.214 हैक. भूमि के 1/2 हिस्सा यानी 0.607 हैक. में 1/3 हिस्सा यानी 0.202 हैक. हिस्सा था। इस 1.214 हैक. में से 0.9957 हैक. भूमि सड़क में अवाप्त हो गई जिसका मावजा अप्रार्थी सं. 1, 3 नें बराबर बराबर प्राप्त किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 अपने हिस्सा से अधिक 0.9957 हैक. में 1/2 हिस्सा यानी 0.49785 हैक. भूमि सड़क परिवहन विभाग को बेचान कर समस्त अवाप्त प्रतिफल राशि अकेले ने प्राप्त कर ली है। इसलिये शेष रही खसरा नं. 626/503 की 0.1192 हैक., खसरा नं. 628/503 की 0.1391 हैक. में कोई हक हिस्सा नही है। इस भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण सं. 1, 2 का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 3 का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
खण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 आपस में एकराय है इन्होने हम प्रार्थीगण को हमारे घर से निकाल कर हमारे हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा कर रखा है। प्रार्थीगण 4 वर्षो से अकेले सीकर निवास कर रहे है। प्रार्थीगण सं. 1, 2 वही रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे है, प्रार्थीया सं. 3 इनकी देखभाल व लालन पालन कर रही है। इस कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत प्रार्थीगण के पास नही है। प्रशनगत दोनो जगह की भूमि अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम दर्ज है। इसलिये अपने नाम का गलत फायदा उठाते हुए उक्त हम प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि को खुर्द बुर्द करने व अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने पर आमाद है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो हम प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये हम प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण हर किस्म प्राप्त करने के हकदार है कि अप्रार्थीगण उक्त समस्त कृषि भूमि को रहन वैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज त न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 4 बीएलडब्लयू के प.नं. 26/241 (13) किला नं. 1 ता 6, 71.127 की 1.645 हैक. कृषि भूमि, तहसील सूरतगढ़ के गांव चाड़सर के खसरा नं. 417 में 6.615 हैक., खसरा नं. 404 में 4.173 हैक. व खसरा नं. 415 में 14.796 हैक. भूमि में अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज तथा तहसील सूरतगढ़ के ग्रांम चाड़सर के खसरा नं. 626/503 में 0.1192 हैक., खसरा नं. 628/503 की 0.1391 हैक. अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज निष्पादित नही करे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षिय बहस सुनी गई जिसपर अस्थाई निषेधाज्ञ जारी की गई है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से वकालतनामा मय जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें जबाव प्रार्थन पत्र अप्रार्थी सं. 1 की ओर से निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वाद पत्र प्रस्तुत होने की हद तक स्वीकार है। प्रार्थीगण को उकत वाद पत्र मे किसी प्रकार की कोई कामयाबी हासिल नही होगी। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 सजरा खानदान से संबंधित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित चक 4 बीएलडब्लयू की 5.060 हैक. प्रार्थीगण के दादा व ससुर बनवारीलाल की पैतृक कृषि भूमि न होकर बनवारीलाल की स्वयं अर्जित कृषि भूमि है। जिसे अप्रार्थी के पिता बनवारीलाल को पूर्ण अधिकार था कि वह अपने जीवनकाल मे वादग्रस्त रकबा का घरा घरू बंटवारा कर दे इसलिए अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी स्वेच्छा एवं ईच्छा से अपनी 5.060 हैक. का अपने दोनो पुत्र के हक मे कर दिया और मिन अप्रार्थी सं. 1 को 1.645 हैक. कृषि भूमि प्राप्त हुई।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 असत्य व मनगढ़त एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 के पिता बनवारीलाल की स्वयं अर्जित कृषि भूमि थी जो कि अप्रार्थी के पिता अप्रार्थी की सेवा चाकरी से खुश एवं प्रसन्न होकर पिता बनवारीलाल द्वारा अपने जीवनकाल मे ही खाता विभाजन करके 1.645 हैक. कृषि भूमि अप्रार्थी को देकर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवाई जो कि पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी मे नही आती है और न [illegible] र्थी सं. 1 के नाम वर्णित 1.645 हैक. मे प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई [illegible] है। प्रार्थी सं. 3 वादग्रस्त रकबा मे ससुर व पति के जीवनकाल मे किसी [illegible] करने की अधि कारिनी नही है। चूंकि प्रार्थी सं 3 के ससुर व [illegible] न मे जीवित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 गांव चाडसर मे वर्णि[illegible] भूमि खुमाणाराम के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी जो कि खुमाणाराम के देहान्त के पश्चात उनके चारों पुत्रो को प्राप्त हुई स्वीकार है। वर्तमान राजस्व मे उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी के के नाम से दर्ज न होकर बनवारीलाल के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख है जिसमे प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा निहित नही है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 असत्य व मनगढ़त होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 व 3 के द्वारा गांव चाडसर की 1.214 हैक. पैतृक कृषि भूमि की आये से खरीद नही की गई। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 3 ने संयुक्त मेहनत एवं श्रम करके अर्जित की गई है जो कि पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी मे न आकर मिन अप्रार्थी की स्वयं अर्जित कृषि भूमि की श्रेणी में आती है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का स्वयं अर्जित कृषि भूमि मे मिन अप्रार्थी सं. । के जीवनकाल मे किसी प्रकार से कोई हक व हिस्सा जन्म से निहित नही हो सकता है। अप्रार्थी सं. 1 अपने वादग्रस्त रकबा का हर किस्म से उपयोग, उपभोग करने को स्वतंत्र है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 को अपनी कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग के कार्य मे विघ्न पैदा नही कर सकते।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 असत्य, मनगढ़त होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. द्य के नाम वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी की स्वयं अर्जित कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीगण का किसी प्रकार से जन्म से कोई हक व हिस्सा निहित नही है । मात्र तथ्यों को रंगत देने के लिए झूठे आरोप प्रार्थीगण द्वारा लगाये जा रहे है। प्रार्थीगण की माता अप्रार्थी के साथ जीवन यापन नही करना चाहती थी इसलिए प्रार्थी सं. 3 द्वारा परिवार एवं रिश्तेदारों की पंचायती के समक्ष प्रार्थी सं. 1—2 के भरण पोषण, शिक्षा इत्यादि एवं प्रार्थी सं. 3 ने अपने भरण पोषण एवं जीवन यापन हेतू 10,00,000/— अखरे दस लाख रूपये लिये थे जो कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी सं. 3 के बैंक खाता मे जमा करवाये गये थे। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपनी ईच्छा एवं स्वेच्छा से अप्रार्थी सं. 1 से समस्त भरण पोषण एवं जीवन यापन हेतू राशि प्राप्त करके अलग रिहायस कर रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 अत्य व मनगढ़त होने से अस्वीकार है। प्रार्थी सं. 1—2 का अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे कोई हक व हिस्सा निहित नही है । अप्रार्थी सं. 1 की स्वयं अर्जित कृषि भूमि है । प्रार्थीगण द्वारा अपने भरण पोषण एवं जीवन यापन हेतू अप्रार्थी सं. 1 से एक मुश्त राशि प्राप्त कर ली है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का अब अप्रार्थी सं. । से कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है । प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय मे भरण पोषण हेतू अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध परिवाद दायर किया हुआ है जो कि विचाराधीन है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण काबिल खारिज योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 के पिता बनवारीलाल वर्तमान मे जीवित है और अप्रार्थी सं. 1 को बनवारीलाल से जीवनकाल मे प्राप्त भूमि जो कि उनकी स्वयं अर्जित कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा स्वयं की श्रम व मेहनत से अर्जित कृषि भूमि मे प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई हक व हिस्सा निहित नही होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 शांतिपूर्वक अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। जब प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा ही निहित नही है तो प्रार्थीगण किसी प्रकार से वादग्रस्त रकबा का खाता तकसीम या विभाजन करवाने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 अलग—अलग रिहायस करते है ओर अपने — अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। मात्र अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण रिकार्डड खातेदार है। अप्रार्थीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को हर प्रकार से हस्तांतरण करने को स्वतंत्र है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की रोक या विघ्न पैदा नही कर सकते हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष मे है । इसलिए प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नही है ।

अतः जबावा प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण [illegible]ण का प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण मय खर्चा खा[illegible]

जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 की ओर [illegible]—यह कि वाद पत्र की दफा 1 मे वाद पत्र प्रस्तुत होने की हद तक स्वीकार है । शेष [illegible]न अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 सजरा खानदान से संबंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी के नाम से वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी को खुमानाराम से प्राप्त नही है अर्थात अप्रार्थी सं. 2 की पैतृक कृषि भूमि न होकर स्वयं अर्जित कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 का अपने पुत्रों से हार्दिक स्नेह होने के कारण से मिन अप्रार्थी ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का घरा घरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

बंटवारा करके अप्रार्थी सं. 1 को उसके हक व हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम से राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवा दी जो कि अप्रार्थी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी मे नही आती है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी का अपने पुत्र से हार्दिक स्नेह होने के कारण से राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम से इन्द्राज करवाई गई । अतः उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि नही होकर अप्रार्थी सं. 1 की स्वयं अर्जित कृषि भूमि है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम चाडसर की कृषि भूमि मिन अप्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि नही है इसलिए प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण से किसी प्रकार के हक व हिस्सा की घोषणा मिन अप्रार्थी के जीवित रहते नही कर सकते हैं, इसलिए प्रार्थीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 ने गांव चाडसर की 1.214 हैक. कृषि भूमि स्वयं की मेहनत करके खरीद की है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 अस्वीकार है। मात्र तथ्यों को रंगत देने के लिए झुठे एवं मनगढ़त कथन अंकित किये है जिनक इस वाद से कोई संबंध सरोकार नही है और ना ही प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थी से कोई अनुतोष हासिल है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 अस्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ने आपस मे दुर्भिसंधी की हुई है और मिन अप्रार्थी को तंग परेशान करने के उद्देश्य से उक्त वाद पत्र बिना किसी वाद कारण के प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 एक साथ एक छत के निचे रिहायस करते हैं। मात्र तथ्यों को रंगत देने के लिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के साथ मिलीभगत करते हुए मिन अप्रार्थी के नाम से दर्ज कृषि भूमि हड़पना चाहते हैं, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आध्रहीन होने के कारण काबिल खारिज योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम वर्णित कृषि भूमि पर शंतिपूर्वक काबिज काश्त है। मिन अप्रार्थीगण का अपने भाईयों के साथ जमीन, सींव बट व रकम राज को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। इसलिए प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण के नाम से वर्णित कृषि भूमि का खाता तकीसम करवाने के कानूनन अधिकारी नही है। मिन अप्रार्थी सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थीगण से अलग रिहायस करते हैं और अपने नाम दर्ज कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है मिन अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है। मिन अप्रार्थी रिकार्डड खातेदार है। मिन अप्रार्थी अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को हर प्रकार से हस्तांतरण करने को स्वतंत्र है प्रार्थीगण किसी प्रकार की रोक या विघ्न पैदा नही कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी के नाम वर्णित कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है ।

अतः जबाव प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की और निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई [illegible] नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक [illegible] स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र [illegible] बीएलडब्ल्यू की 5.060 हैक. भूमि पैतृक कृषि भूमि नही है जो [illegible] सं. 2 द्वारा [illegible] है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है। अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी [illegible] कृषि भूमि का घरू बंटवारा कर अपने पुत्रो अप्रार्थी सं.1 व अप्रार्थी सं. 3 को बांटकर दे [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में अस्वीकार है । अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि नही है जो अप्रार्थी सं. 2 द्वारा स्वअर्जित की गई है व उसके बाद अपने पुत्रो के मध्य घरू बंटवारा कर उनके नाम दर्ज करवाई गई है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त भूमि पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में नही आती है ना ही इसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थीया सं. 3 वादग्रस्त रकबा में पति व ससुर से कोई हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। चूंकि प्रार्थी सं. 3 के ससुर अप्रार्थी सं. 2 व पति अप्रार्थी सं.1 वर्तमान मे जीवित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में गांव चाड़सर में वर्णित भूमि खुमाणाराम के नाम से दर्ज रिकार्ड थी जो कि खुमाणाराम के देहान्त होने के पश्चात उनके चारो पुत्रों को प्राप्त हुई स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही बनता है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन मनगढ़त, असत्य व अविधिक होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं.1 व 3 के द्वारा गांव चाड़सर की भूमि पैतृक कृषि भूमि की आय से खरीद नही की गई है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 3 ने संयुक्त मेहनत व श्रम करके अर्जित की गई है जो कि पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में न आकर स्वय अर्जित कृषि भूमि की श्रेणी में आती है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 अस्वीकार है। उक्त वादगग्रस्त रकबा पैतृक कृषि भूमि न होकर स्वअर्जित किया गया रकबा है जो पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में नही आता है। जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा हासिल नही है। मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये झूठे व मिथ्या कथन अंकित किये गये है। प्रार्थीगण सं. 1 व 2 की माता प्रार्थीया सं. 3 अप्रार्थी सं.1 के साथ जीवनयापन नही करना चाहती थी। इसलिये प्रार्थीया सं. 3 द्वारा परिवार व रिश्तेदारो की पंचायती के समक्ष प्रार्थी सं. 1 व 2 के भरण पोषण, शिक्षा इत्यादि एवं प्रार्थीया सं. 3 ने अपने भरण पोषण एवं जीवन यापन हेतू 10,00,000/- रूपये लिये थे जो अप्रार्थी सं.1 द्वारा प्रार्थीया सं. 3 के बैंक खाता में जमा करवाये गये थे। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपनी ईच्छा एवं स्वेच्छा से अप्रार्थी सं. 1 से समस्त भरण पोषण एवं जीवनयापन हेतू राशि पूर्व में प्राप्त कर अलग निवास कर रहे है। अब प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त रकबा में किसी प्रकार के हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 अस्वीकार है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त रकबा में कोई हक व हिस्सा नही बनता है क्योंकि उक्त वादग्रस्त रकबा पैतृक न होकर स्वअर्जित खरीदशुदा रकबा है। प्रार्थीगण ने अपने भरण पोषण एवं जीवनयापन हेतू एक मुश्त राशि अप्रार्थी सं.1 से प्राप्त कर ली है। प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में भरण पोषण हेतू व दहेज के झूठे मुकदमे अप्रार्थी सं.1 के खिलाफ परिवाद दायर किया हुआ है जो कि जैरकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र शुन्य व आधारहीन होने के कारण काबिल खारिज के है

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 अस्वीकार है। जब उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही बनता है तो वे खाता विभाजन करवाने के अधिकारी भी नही है क्योंकि उक्त रकबा पैतृक न होकर स्वअर्जित खरीदशुदा रकबा है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक हासिल नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज करने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 11 अस्वीकार है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 अलग अलग निवास करते है और अपने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा मिन अप्रार्थीगण को मात्र तंग व परेशान करने के लिये उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को किसी प्रकार से हस्तांतरण व रहन बैय नही कर रहे है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की [illegible] करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। अत [illegible] प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested

::आदेश::

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई। बहस प[illegible]नन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी संख्या 1 व 2 परिवार की सहदायिक सदस्य है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 जिसके हितो की रक्षा करना नितातं आवश्यक है। प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तहसील पीलीबंगा के चक 4 बीएलडब्लयू के प.नं. 26/241 (13) किला नं. 1 ता 6, 7/1. 127 की 1.645 हैक. कृषि भूमि, तहसील सूरतगढ़ के गांव चाड़सर के खसरा नं. 417 में 6.615 हैक., खसरा नं. 404 में 4.173 हैक. व खसरा नं. 415 में 14.796 हैक. भूमि में अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज तथा तहसील सूरतगढ़ के ग्रांम चाड़सर के खसरा नं. 626/503 में 0.1192 हैक., खसरा नं. 628/503 की 0.1391 हैक. अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थी के हक्क व हिस्सा में रिकाड एवं मौका की यथस्थिति का स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 09/12/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.02.09 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested